"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016— आश्विन 1, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-30/2016/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 31 के उप-नियम (2) में,-

(क) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(च) संयुक्त आवेदन द्वारा, प्राधिकारी को अनुज्ञा में वर्णित कार्य की पूर्णता की लिखित सूचना देगा तथा प्राधिकारी से निम्नलिखित के पूर्व, अधिभोग के लिये अनुज्ञा प्राप्त करेगा (परिशिष्ट-छ देखिये),-

(एक) किसी भी भवन या उसके किसी भाग के निर्माण पर परिवर्धन या परिवर्तन के पश्चात् उस भवन या उसके किसी भाग के अधिभोग;

या

(दो) किसी भी भवन या उसके किसी भाग के अधिभोग की श्रेणी में परिवर्तन."

(ख) खण्ड (छ) का लोप किया जाये.

2. नियम 31 के उप-नियम (3) में, शब्द, अंक, चिन्ह एवं कोष्टक "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961)" के स्थान पर, शब्द, अंक, चिन्ह एवं कोष्टक "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. परिशिष्ट छ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परिशिष्ट छ

[नियम 31 (2) (च)]

कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र एवं दखलकारी अनुज्ञा के लिये प्ररूप

मैं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षण भू-खण्ड क्रमांक मंजूरी रेखांकों के अनुसार .... को पूर्ण हुआ है, देखिये क्र. .... दिनांक .... कार्य मेरे सर्वोत्तम समाधान, कारीगरी के अनुसार पूर्ण हुआ है तथा सभी सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) का उपयोग दृढ़तापूर्वक सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किया गया है. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंध, की गई अध्यापेक्षा, विहित शर्त या जारी आदेश का उल्लंघन कार्य के दौरान नहीं किया गया है. भूमि ऐसे निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त है जिस प्रयोजन के लिये उसका विकास या पुनर्विकास किया गया है अथवा भवन ऐसे उपयोग के लिये उपयुक्त है जिस प्रयोजन के लिये उसका निर्माण, उसमें परिवर्तन, तथा वृद्धि की गई है.

मैं, एतद्द्वारा, सभी दृष्टियों से पूर्ण भवन के रेखांक भी संलग्न करता हूं.

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक नगर निवेशक के हस्ताक्षर ....

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक नगर निवेशक के नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक नगर निवेशक की अनुज्ञप्ति का क्रमांक ....

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक नगर निवेशक का पता ....

उपरोक्त वर्णित निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन पूर्ण किये गये हैं. कृपया मुझे उक्त भवन के लिये दखलकारी अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें.

आवेदक के हस्ताक्षर."

4. परिशिष्ट ज का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-30/2016/32 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-9-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 21st September 2016

NOTIFICATION

No. F 7-30/2016/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (2) of rule 31,-

(a) for clause (f), the following shall be substituted, namely :-

"(f) by joint application, give written notice of completion of described work in the permission to the Authority and obtain permission for occupancy (See Appendix G) from the Authority prior to any :-

(i) occupancy of such building or any part thereof after addition on construction or alteration of that building or any part thereof; or

(ii) change in class of occupancy of any building or any part thereof."

(b) clause (g) shall be omitted.

2. In sub-rule (3) of rule 31, for the words, figures, punctuation and parenthesis "C. G. Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and C. G. Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961)" , the words, figures, punctuation and parenthesis "the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)" shall be substituted.

3. For Appendix G, the following shall be substituted, namely :-

"APPENDIX G
[Rule 31 (2) (f)]

FORM FOR COMPLETION CERTIFICATE AND OCCUPANCY PERMISSION

I, hereby certify that architect/structural engineer/engineer/supervisor, supervision of plot number has been completed on .... as per permitted plan, see No. .... dated .... The work has been completed to my best satisfaction, the workmanship and all the materials (type and grade) have been used strictly in accrdance with general and detailed specification. No violation of the provision of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules, 1984, requisition made, prescribed condition or order issued has been made during the work. The land is fit for construction, for the purpose it has been developed or redeveloped, or the building is fit for use, for the purpose it has been constructed, altered and enlarged.

I, hereby also enclose the plan of the building completed in all aspects.

Signature of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/ Town Planer ....

Name of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/ Town Planer ....

(In Block letters) License No. Architect/Structural Engineer/ Engineer/Supervisor/Town Planer ....

Address of Architect/Structural Engineer/Engineer/Supervisor/ Town Planer ....

Above mentioned construction, reconstrution or physical change has been completed. Finally grant me occupancy license for the said building.

Signature of the Applicant."

4. Appendix H shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY SHUKLA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.